संख्या- 268 /2024 / 1913 /चार-2024-1668396

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2024

विषय:- ग्राम सालेहनगर परगना व तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ स्थित भूमि देव स्थान घटघटा बाबा प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 746/सं0नि0-6(150) /2019-20, दिनांक 04 जुलाई, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि ग्राम सालेहनगर परगना व तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ स्थित भूमि देव स्थान घटघटा बाबा प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु रू0 303.52 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक रू0 273.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 302.56 लाख है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार ग्राम सालेहनगर परगना व तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ स्थित भूमि देव स्थान घटघटा बाबा प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु परियोजना की टेण्डर कास्ट लागत रू0 302.56 लाख की 05 प्रतिशत धनराशि रोकते हुए अवशेष धनराशि रू0 14.33 लाख (रू0 चौदह लाख तैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 09/2021/1671/चार-2020 दिनांक 22 जनवरी, 2021, शासनादेश संख्या- 141/2021/1489/चार-2021 दिनांक 31 अगस्त, 2021, शासनादेश संख्या- 17/2022/44/चार-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022, शासनादेश संख्या- 21/2022/44/चार-2022 दिनांक 28 जनवरी, 2022, शासनादेश संख्या- 198/2022/2477/चार-2022 दिनांक 15 नवम्बर, 2022, शासनादेश संख्या- 209/2022/2634/चार-2022 दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 तथा शासनादेश संख्या- 355/2023/7249/चार-2023 दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा परियोजना की जांच में पाई गई कमियों का निराकरण संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,33,000/- ( रुपये चौदह लाख तैंतीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000300 प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 268 /2024 / 1913 (1) /चार-2024-1668396 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।